भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1803

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946(शक) को दिया जाना है)

आयकर विधेयक, 2025 का सरलीकरण

1803. **श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सरलीकरण से व्याख्या में अनपेक्षित अस्पष्टता या कानूनी चुनौतियां उत्पन्न न हों;

(ख) क्या उक्त विधेयक राजस्व संग्रह और करदाता व्यवहार को प्रभावित करता है;

(ग) क्या सरलीकरण अभ्यास कर पारदर्शिता, व्यापार करने में सुलभता, फेसलेस मूल्यांकन और ई-फाइलिंग पहल के अंतर्गत डिजिटलीकरण प्रयासों के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अनुभागों के पुनर्गठन के लिए व्यवसायों और पेशेवरों को नए अनुपालन प्रशिक्षण दिए जाएंगें?

उत्तरः

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख): सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी । उक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप आयकर विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्या 24) 13.02.2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है तथा जांच के लिए लोक सभा की प्रवर समिति को भेजा गया है।

आयकर विधेयक को पेश करने के पीछे उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाकर सरल बनाना था। सरलीकरण अभ्यास तीन मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था: -

1. बेहतर स्पष्टता और सुसंगतता के लिए पाठ्य और संरचनात्मक सरलीकरण।
2. निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए कोई बड़ा कर नीति परिवर्तन नहीं।
3. कर दरों में कोई संशोधन नहीं, करदाताओं के लिए पूर्वानुमान को संरक्षित करना।

इस उद्देश्य के लिए, तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया:

1. पठनीयता बढ़ाने के लिए जटिल भाषा को खत्म करना।
2. बेहतर नेविगेशन के लिए अनावश्यक और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाना।
3. संदर्भ की आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए तार्किक रूप से धाराओं को पुनर्गठित करना।

सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू करते समय, अनजाने में अस्पष्टता की गुंजाइश को कम करने के लिए सचेत प्रयास किए गए हैं, जिससे नई व्याख्याएं और मुकदमेबाजी की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रयोजनार्थ, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. मुख्य शब्दों/वाक्यांशों को, विशेष रूप से जहां अदालतों ने फैसले दिए हैं, न्यूनतम संशोधनों के साथ बनाए रखा गया है, और छोटे वाक्यों का उपयोग करके भाषा को सरल बनाया गया है।
ख. कई व्याख्याओं की गुंजाइश को कम करने के लिए प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। परन्तुक और स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं और सरलीकृत सामग्री को उप-धाराओं और खंडों के रूप में रखा गया है।
ग. स्पष्टता बढ़ाने के लिए सूत्रों और तालिकाओं का उपयोग किया गया है।
घ. मौजूदा अधिनियम में विभिन्न अध्यायों में मौजूद समान मुद्दों और परिभाषाओं से जुड़े प्रावधानों को समेकित किया गया है।

इस प्रकार आयकर विधेयक, 2025, सरल, स्पष्ट और अस्पष्ट कर ढांचा प्रदान करके व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हालांकि सरलीकरण की कवायद का दरअसल राजस्व संग्रह पर प्रत्यक्ष या तत्काल प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक 2025 तक प्रस्तावित सभी संशोधनों को नए आयकर विधेयक 2025 में विधिवत रूप से शामिल किया गया है। इसलिए, नीतिगत दृष्टिकोण से विधेयक अद्यतन है। इसके अलावा, यह उम्मीद की जाती है कि विधेयक की संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन और विधेयक में प्रावधानों को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए किए गए प्रयास (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) करदाता अनुपालन बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेंगे।

(ग): सरलीकरण कवायद का उद्देश्य कराधान का ऐसा क़ानून बनाना है जो न केवल कर पेशेवरों के लिए बल्कि सूचित नागरिकों के लिए भी सुलभ और समझने योग्य हो। करों का भुगतान करने में आसानी व्यापार करने में आसानी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्पष्ट और सुबोध भाषा का उपयोग करने का दृष्टिकोण, सूचना के प्रस्तुतिकरण के लिए सारणीबद्ध प्रारूप का अधिक उपयोग और आसान समझ के लिए गणितीय सूत्रों का उद्देश्य कर निश्चितता बढ़ाना, करों का भुगतान करने में आसानी में सुधार करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। विभाग द्वारा किए गए मौजूदा प्रौद्योगिकीय सुधार जैसे कि पहले से भरे गए आईटीआर, वार्षिक सूचना विवरण, फेसलेस कार्यवाहियां, विभिन्न फॉर्मों की ई-फाइलिंग आदि सभी को विधेयक में बरकरार रखा गया है।

(घ): आयकर विधेयक, 2025 में धाराओं का पुनर्गठन संदर्भ को आसान बनाने तथा प्रत्यक्ष कर नीति को लागू करने के लिए एक ऐसा कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया है जो सरल, स्पष्ट और असंदिग्ध हो। धाराओं के इस पुनर्गठन से व्यवसायों और पेशेवरों को किसी नए अनुपालन प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, इससे आम करदाता के लिए अनुपालन आसान होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, नए विधेयक को समझने में आसानी के उद्देश्य से, आयकर विधेयक, 2025 के खंडों पर नोट्स में विधेयक में निहित विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 (वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा यथा संशोधित) की धारा की आयकर विधेयक, 2025 के संगत खंड के साथ जांच करने की उपयोगिता, आयकर विधेयक, 2025 नेविगेटर और आयकर विधेयक, 2025 के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिए गए हैं और उनकी सराहना की गई है तथा उनका भरपूर उपयोग हो रहा है।

******